युवक की हत्या में नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार

पेट्रोल पहले भराने के झगड़े में हुआ था मर्डर

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 31 मार्च

सेक्टर-25 के रहने वाले अमन की हत्या के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि 24 साल के सोमी को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा। अमन की हत्या शुक्रवार रात चाकू मारकर की गयी थी। वारदात के वक्त दोनों आरोपियों के साथ मौजूद तरसेम सहित 4 लोगों की भूमिका जानने के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है। पुलिस के अनुसार अमन के साले सनी के बयान के आधार पर 2 गिरफ्तारियां की गयी हैं। सनी भी इस हमले में घायल हुआ है। डीएसपी जसविंदर सिंह के अनुसार नाबालिग आरोपी ने माना है कि उसने अमन को चाकू मारा। उसका कहना है कि पहले अमन ने उस पर हमला किया। डीएसपी जसविंदर ने बताया कि बृहस्पतिवार को सेक्टर-37 के पेट्रोल पंप पर तरसेम का अमन, सनी और एक अन्य व्यक्ति के साथ पहले पेट्रोल भराने को लेकर झगड़ा हुआ था। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे, जब सनी सेक्टर-25 में अमन को उसके छोड़ने जा रहा था, तभी करीब 6 युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने दोनों पर हमला किया और नाबालिग ने अमन को चाकू मार दिया।

अमन के अंतिम शब्द थे- मां मुझे बचा लो

अमन अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियां छोड़ गया है। एक बेटी तो महज 6 महीने की है, जबकि बड़ी 2 साल की है। बताया गया कि अमन पर उसके घर से महज 50 मीटर दूर हमला किया गया। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और मां की गोद में गिरकर रोते हुए बोला, 'मम्मी मैनूं बचा लै।' परिवार वाले उसे ऑटो में जीएमएसएच-16 लेकर गय, रास्ते में वह बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

चंडीगढ़ के सेक्टर-25 की एक कालोनी में शनिवार को हत्या की जगह पर तैनात पुलिस कर्मी। -ट्रिब्यू

दैनिक ट्रिब्यून Sun, 01 April 2018
epaper.punjabitribuneonline.com//c/27504336

पर्स छीन भाग रहे 3 युवक काबू

चंडीगढ़, 31 मार्च (मनोज) : पर्स छीन कर भाग रहे तीन युवकों को पुलिस ने लोगों की सहायता से काबू किया। आरोपियों की पहचान मौलीजागरां निवासी गुरजोत, अंकित और रोहित के रूप में हुई है। आरोपी पंचकूला से घर जा रहे साइकिल सवार युवक से शिवालिक पब्लिक स्कूल के पास पर्स छीनकर फरार हो गए थे। मौलीजागरां निवासी विष्णु ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपियों से छीना हुआ पर्स बरामद कर लिया। मौलीजागरां निवासी विष्णु की शिकायत पर मौलीजागरा थाना पुलिस ने गुरजोत, अंकित और रोहित पर स्नैचिंग का मामला दर्जकर लिया। विष्णु ने बताया कि शनिवार दोपहर को वह पंचकूला से काम खत्म होने के बाद साइकिल से घर वापिस आ रहा था। जब वह शिवालिक पब्लिक स्कूल के पास पहुंचा तो तीन युवक ने उसे रोक लिया और जबरदस्ती उसकी जेब से पर्स छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इस दौरान लोगों ने पर्स छीनकर भागने वाले स्नैचर गुरजोत, अंकित और रोहित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दी। मौलीजागरां थाना पुलिस पकड़े गए स्नैचरों से अन्य स्नैचिंग की वारदात के बारे में पूछताछ करने में लगी हुई है।

दैनिक सवेरा Sun, 01 April 2018
dainiksaveratimes.epapr.in//c/

सेक्टर-56 में घर के बाहर खड़ा एक्टिवा जलाया, केस दर्ज

चंडीगढ़ | सेक्टर-56 के रहने वाले अरविंद कुमार ने पुलिस को शिकायत दी है कि किसी ने उनके एक्टिवा को आग लगा दी है जिससे वह जल गया है। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि घटना 30 मार्च की है जब रात के समय उनका एक्टिवा घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान किसी ने उसमें आग लगा दी। घटना का पता लगने पर अरविंद ने शिकायत पुलिस को दी है। वहीं मामले में पुलिस अब एरिया में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है ताकि आरोपी का कोई सुराग लग सके।

अलग-अलग दो जगहों पर हुए सड़क हादसों में दो लोग हुए जख्मी

चंडीगढ़ | सेक्टर-20 के रहने वाले मोहिंदर पाल ने पुलिस को शिकायत दी है कि अज्ञात वाहन चालक ने साइकिल को टक्कर मार दी है जिससे उस पर सवार 18 के रहने वाले राम कैलाश जख्मी हो गए हैं। हादसा लेबर चौक के पास हुआ, उसे पीजीआई एडमिट करवाया है। दूसरे मामले में जीरकपुर के रहने वाले शीशपाल ने पुलिस को शिकायत दी है कि पंजाब नंबर के कार ड्राइवर ने उनके एक्टिवा को टक्कर मार दी है, जिससे वह जख्मी हो गए हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है।

Dainik Bhaskar Dt:01-04-2018

MIDNIGHT DRIVE

83 held for drinking in public, all released on bail bond

EXPRESS NEWS SERVICE
CHANDIGARH, MARCH 31

AS MANY as 83 people were arrested for consuming liquor at public places in and on the fringes of Chandigarh in the intervening night of Friday and Saturday. All of them, however, have been released on regular bail on a surety bond of Rs 5,000 each from the respective police stations where FIRs have been lodged against them.

The 83 people were arrested under Section 68-1 (B) of Punjab Police Act, 2007, and Section 510 of Indian Penal Code (IPC).

The drive was carried out by 16 police stations from 10 pm to 1 am. Police sources said apart from different areas on the periphery of Chandigarh like Ramdarbar, Hallomajra, Maloya, Dadumajra, Palsora and Colony Number-4, people were arrested even from busy markets places like in Sectors 22, 35, 45, 15 and 26, besides Manimajra.

A senior police officer said the motive behind this drive was to deter people from petty crimes like road rage, drunken driving, stalking/chasing women. "We have been carrying out this drive for the last five months. We have lodged FIRs and forwarded the cases to concerned courts for further proceedings. A person arrested under Section 68-1 (B) of Punjab Police Act, 2007 and Section 510 of IPC is liable for a punishment of not exceeding one month or with fine of not less than Rs 1,000 or both."

An anti-drunk driving drive in Chandigarh. *Express archive*

DSP (Central) Jaswinder Singh said 17 of the 83 were arrested in the jurisdiction of police's Central Division. "The drive will continue in the coming days, especially on weekends."

Sources said 26 were arrested in East Division and another 40 people were held in Southern Division of Chandigarh police.

Section 510 of the IPC reads misconduct in public by a drunken person?whoever, in a state of intoxication, appears in any public place shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 24 hours, or with fine which may extend to Rs 10 or with both.

Earlier, Chandigarh Police used to arrest people drinking alcohol at public places under Excise Act, but since November 2017, it started making arrests for the offence under Punjab Police Act, 2007, and Section 510 of the IPC. The pattern changed following the instruction of Punjab and Haryana High Court, which found that police are not authorised to prosecute a man under the Excise Act.